

तारीख

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाडमेर

ब.मा.क/भू.अ./2025/ 211

दिनांक 17/02/2025

अनवान :-

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
शिरदाराराम	बनाम	खेताराम वगैरा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम  
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 131/2024

दिनांक : 12.02.2025

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बावडी कला के मौजा रोड़ियो का तला के खेत खसरा सं 308 195 रकबा 06 7987 हैक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सधम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थार्ई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है ।  
प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



ब.मा.क/भू.अ./2025/ 212 to 215

पतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी शिरदाराराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण खेताराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
दिनांक 17/02/25



(कुसुमवती चौहान)

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन